PV

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डिक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/181

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
धारा 111-128	119/24	29/4/2024	[signature] 28/5/24	22/5/2024

अनवान

श्री देवीलाल s/o मदनलाल जाति धाकड़   श्री लालु s/o काशीराम धाकड़

निवासी लक्ष्मीखेड़ा   निवासी विक्रमपुरा ग्रा.मु. लक्ष्मीखेड़ा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट   अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार   मदयून

श्री रामफूल धाकड़   श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

देबीलाल बनाम लालू

किस्म मुकदमा – 111 - 128 नम्बर 119/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]/4/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 22/5/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
22/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली में एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी दिनांक 28/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
28/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालना के लिए तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 119/24 तारीख 29/4/24

देबीलाल पुत्र मदनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीखेडा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

01. लालु पुत्र काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. पन्नालाल पुत्र दौला जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. अनिल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. औमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. औमप्रकाश पुत्र पन्ना जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक: 28/05/24

प्रार्थना पत्र मैं देबीलाल पुत्र मदनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीखेडा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा में स्थित खाता संख्या 80 पर अंकित आराजी संख्या 715/484 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेडा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा में स्थित खाता संख्या 80 पर अंकित आराजी संख्या 715/484 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 119/24 तारीख 29/4/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......119......../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

देबीलाल पुत्र मदनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीखेडा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

01. लालु पुत्र काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. पन्नालाल पुत्र दौला जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. अनिल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. औमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. औमप्रकाश पुत्र पन्ना जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा में स्थित खाता संख्या 80 पर अंकित आराजी संख्या 715/484 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **उमाजी का खेडा** कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिज़ौलियाँ जिला-भीलवाड़ा